



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आषाढ़ 1939 (श०)
(सं० पटना 565) पटना, वृहस्पतिवार, 29 जून 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

29 जून 2017

एस० ओ० 107 दिनांक 29 जून 2017—बिहार के राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा-1 उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा-6 से 9, धारा-11 से 21, धारा-31 से 41, धारा-42 (धारा-42 की उपधारा (9) के परन्तुक को छोड़ कर), धारा-43 (धारा-43 की उपधारा (9) के परन्तुक को छोड़ कर), धारा-44 से 50, धारा-53 से 138, धारा-140 से 145, धारा-147 से 163 एवं धारा-165 से 174 के प्रावधान प्रवृत्त होने की तिथि दिनांक 01.07.2017 नियत करते हैं।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-2209)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

29 जून 2017

एस०ओ० 108, एस०ओ० 107 दिनांक 29 जून 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जी एस टी/विविध-13/2017-2209)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 29th June 2017

S.O. 105 dated 29th June 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12 of 2017), the Governor of Bihar hereby appoints the 1st day of July, 2017, as the date on which the provisions of sections 6 to 9, 11 to 21, 31 to 41, 42 except the proviso to sub-section (9) of section 42, 43 except the proviso to sub-section (9) of section 43, 44 to 50, 53 to 138, 140 to 145, 147 to 163, 165 to 174 of the said Act, shall come into force.

[(File No. Bikri-kar/GST/vividh-13/2017-2209)]

By the order of Governor of Bihar,

SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary,

Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

बिहार गजट (असाधारण) 565-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>